भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3172**
दिनांक 11 जुलाई , 2019 / 20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जेट एयरवेज का अधिग्रहण

3172. **श्री भोला सिंहः**
डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराजः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज के अधिग्रहण में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एतिहाद एयरवेज द्वारा रखी गई संबंधित मांगों को स्वीकार कर लिया है/स्वीकार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जेट एयरवेज को इस संकट से उबारने के लिए बैंकों के सहयोग से कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (च) : मकर्केंज़ी द्वारा तैयार की गई व्यापारिक योजना के आधार पर, अंतर्देशीय ऋणदाताओं ने "सशक्त परियोजना" (इंटर क्रेडिटर एग्रीमंट अरेंजमेंट) के अंतर्गत रेज़ोल्यूशन ऑफ स्ट्रेसड असेट्स की संशोधित रूपरेखा के अनुरूप एक बैंक एलईडी प्रस्ताव योजना को अंतिम रूप दिया है। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, दोनों भागीदार (मैसर्स जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड प्रमोटर्स और एतिहाद एयरवेज़) के बीच मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सका और अंततः दिनांक 12.03.2019 को एतिहाद एयरवेज़ बोर्ड की बैठक में रेज़ोल्यूशन प्लान को स्वीकार नहीं किया जा सका। कंपनी के स्वामित्व/प्रबंधन में परिवर्तन के लिए ऋणदाताओं द्वारा बोलियाँ आमंत्रित की गई। तथापि, यह समझा गया कि भावी निवेशकों द्वारा वांछनीय कुछ छूट/रियायतें केवल दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत कॉर्पोरेट इनसोल्वेनसी रेज़ोल्यूशन प्रोसैस (सीआईआरपी) के अंतर्गत उपलब्ध हैं। उपर्युक्त कोड के अंतर्गत रेज़ोल्यूशन प्लान तैयार करने के लिए, दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत एसबीआई द्वारा दर्ज किया गया आवेदन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा 20 जून 2019 को स्वीकार कर लिया

गया है। एयरलाइन्स का पुनरुत्थान अब केवल आईबीसी के अंतर्गत संभव है।

अपने स्वयं के बाज़ार के मूल्यांकन और देनदारियों के आधार पर प्रत्येक एयरलाइन अपनी वाणिज्यिक योजना तैयार करती है। वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल और वाणिज्यिक योजना के अनुसार सफल प्रचालन सुनिश्चित करना एयरलाइन का उत्तरदायित्व है। मैसर्स जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड के लिए धन जुटाने में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह एयरलाइन का आंतरिक मामला है।

*****